षोडश बिहार विधान सभा

नवम् सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-14 शुक्रवार, दिनांक-19 मार्च, 2018 ई० ।

माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 11.18 बजे अपराह्न तक ।

[1] राज्यपाल का संदेश :-

महामहिम राज्यपाल बिहार से प्राप्त निम्नांकित संदेश को सभा सचिव द्वारा पढ़ा गया :-

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सत्य पाल मलिक, बिहार का राज्यपाल, इसके द्वारा बिहार विधान सभा के अध्यक्ष, श्री विजय कुमार चौधरी को वह व्यक्ति नियुक्त करता हूँ, जिनके समक्ष, बिहार विधान सभा के उप-निर्वाचन, 2018 में बिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या-205, भभुआ एवं 216, जहानाबाद से निर्वाचित सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने के पूर्व शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे ।

पटना सत्य पाल मलिक

दिनांक-16 मार्च, 2018 राज्यपाल, बिहार ।"

[2] शपथ / प्रतिज्ञान :-

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से शपथ ग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ हुई तथा निर्वाचन क्षेत्र संख्या-205 (भभुआ) से नवनिर्वाचित माननीय सदस्या, श्रीमती रींकी रानी पाण्डेय द्वारा शपथ ग्रहण किया गया । निर्वाचन क्षेत्र संख्या-216 (जहानाबाद) से नवनिर्वाचित माननीय सदस्य, श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव के सदन से अनुपस्थित रहने के कारण आज शपथ ग्रहण नहीं कर सके ।

[3] प्रश्नकाल :-

प्रश्नकाल प्रारम्भ होते ही विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ गये ।

"आसन द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध किया गया कि अपने स्थान पर जाकर अपनी बातों को कहें ।"

माननीय मंत्री संसदीय कार्य, श्री श्रवण कुमार द्वारा कहा गया कि विपक्ष के माननीय सदस्य अपने स्थान पर जाकर अपनी बात कहेंगे तो सरकार संज्ञान भी लेगी तथा उनके प्रश्नों का उत्तर भी दे सकती है ।

"आसन द्वारा पुन: विपक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वे अपनी बातों को अपने-अपने स्थान पर जाकर कहें ।"

किन्तु सदन में शान्ति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 02.15 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[4] कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन :-

माननीय सदस्य, श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2018 को सम्पन्न हुई कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में लिए गये निम्नांकित निर्णय को प्रतिवेदन के रूप में सभा पटल पर रखा गया :-

1. बुधवार, दिनांक 04 अप्रील, 2018 को सभा की बैठक नहीं हो;
2. बुधवार, दिनांक 04 अप्रील, 2018 के लिए निर्धारित गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी संकल्प) मंगलवार, दिनांक 27 मार्च, 2018 को निर्धारित वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक से संबंधित विनियोग विधियोग के व्यवस्थापन के उपरान्त लिये जायें;
3. शेष कार्य यथावत रहेंगे ।

समिति द्वारा की गई उक्त सभी अनुशंसाओं पर सदन की सहमति हुई ।

[5] वित्तीय कार्य :-

वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों [खंड-08 (परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा सूचना एवं जन संपर्क विभाग)] पर वाद-विवाद एवं मतदान :-

माननीय प्रभारी मंत्री, परिवहन विभाग, श्री संतोष कुमार निराला द्वारा परिवहन विभाग से संबंधित अनुदान की माँग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य, श्री भोला यादव, श्री रामदेव राय, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री जयवर्धन यादव उर्फ बच्चा यादव, श्री राजेन्द्र कुमार, श्री महबूब आलम एवं श्री ललित कुमार यादव का नाम आसन द्वारा बारी-बारी से पुकारा गया किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया ।

तदोपरान्त् आसन द्वारा घोषणा की गयी कि अब अनुदान की मांग के मूल प्रस्ताव पर विमर्श होगा ।

अनुदान की मांग पर वाद-विवाद में माननीय सदस्य, श्री लक्ष्मेश्वर राय ने भाग लिया ।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ गये । "आसन द्वारा उनसे अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने स्थान पर जाकर अपनी बातों को कहें ।"

माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा कहा गया कि परिवहन विभाग के अनुदान की मांग पर वाद-विवाद का कार्यक्रम सूचीबद्ध है और यह एक महत्वपूर्ण विभाग है । विपक्ष के माननीय सदस्य यदि अपने स्थान पर जाकर अपने प्रश्नों को उठायें तो सरकार जवाब देने के लिए तैयार है ।

आसन द्वारा पुन: विपक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने स्थान पर जाकर अपनी बातों को कहें ।

किन्तु सदन में शान्ति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही 04.50 बजे अपराह्न् तक के लिए स्थगित हुई ।

स्थगनोपरान्त

(04.50 बजे अपराह्न से 05.05 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, श्री संतोष कुमार निराला द्वारा परिवहन विभाग से संबंधित अनुदान की मांग पर सरकार की ओर से उत्तर दिया गया ।

तत्पश्चात् परिवहन विभाग से संबंधित अनुदान की मांग का मूल प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ ।

[6] निवेदन :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 56 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिये जायेंगे ।

तदुपरान्त् सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक-20 मार्च, 2018 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-19.03.2018

राम श्रेष्ठ राय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।